अण्डमान निकोबार द्वीप समाचार

रजि.न.34300/80 | संख्या 99 | श्री विजय पुरम, मंगलवार, 14 अप्रैल 2026 | web: dt.andamannicobar.gov.in | 2.00 रूपए

संदेश

'अग्निशमन दिवस' उन वीर दमकलकर्मियों की स्मृति में मनाया जाता है जिन्होंने 14 अप्रैल, 1944 को मुंबई डॉक विस्फोट के दौरान देश की सेवा करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया। यह दिवस उनके साहस, समर्पण और निस्वार्थ सेवा के प्रति एक स्थायी श्रद्धांजलि है, और उन सभी अग्निशमन कर्मियों को सम्मानित करता है जो जीवन और संपत्ति की रक्षा के लिए अथक परिश्रम करते हैं।

इस वर्ष का विषय है, "सुरक्षित विद्यालय, सुरक्षित अस्पताल एवं अग्नि सुरक्षा जागरूक समाज–मिलकर अग्नि रोकथाम की ओर", यह संस्थानों और नागरिकों की साझा उत्तरदायित्व को रेखांकित करता है कि वे अग्नि सुरक्षा उपायों को सुदृढ़ कर पूरे समाज में सुरक्षा और प्रबंधन की जीवनशैली को बढ़ावा दें।

मैं आपातकालीन प्रतिक्रिया, अग्नि निवारण पहलों और सामुदायिक संपर्क में अनुकरणीय व्यावसायिकता के लिए अण्डमान तथा निकोबार अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाओं की सराहना करता हूँ। वर्ष 2025 के दौरान, विभाग ने 268 अग्नि दुर्घटनाओं और 833 विशेष सेवा संबंधी कॉलों पर कार्रवाई की, जो जन सुरक्षा के प्रति इसकी अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाती है। श्री विजय पुरम स्थित अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा प्रशिक्षण केंद्र को नागपुर स्थित राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय द्वारा बाह्य उप–अधिकारियों के पाठ्यक्रम के संचालन हेतु राज्य प्रशिक्षण केंद्र के रूप में मान्यता मिलना द्वीपसमूह के लिए अत्यंत गर्व का विषय है और यह विभाग की उत्कृष्टता और क्षमता निर्माण की निरंतर प्रतिबद्धता का प्रमाण है।

इस अवसर पर, मैं अण्डमान तथा निकोबार अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाओं के सभी कर्मियों को राष्ट्र के प्रति उनके निरंतर समर्पण, साहस और नेक सेवा के लिए हार्दिक सराहना करते हुए शुभकामनाएँ देता हूँ।

(एडमिरल डी.के. जोशी)
पीवीएसएम, एवीएसएम, वाईएसएम, एनएम, वीएसएम (अ.प्रा.)
उप राज्यपाल
अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह
एवं उपाध्यक्ष, द्वीप विकास एजेंसी

शुभकामनाएँ

15 अप्रैल, 2026 हिमाचल प्रदेश के श्स्थापना दिवसश के शुभ अवसर पर, अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में रह रहे हिमाचल प्रदेश के सभी निवासियों को मेरी हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ।

विगत वर्षों में हिमाचल प्रदेश भारत के सबसे सम्मानित राज्यों में से एक बनकर उभरा है, जो यहाँ के लोगों की शक्ति, समर्पण और दृढ़ संकल्प को दर्शाता है। शिक्षा, पर्यावरण अनुकूल विकास, पर्यटन, बागवानी और जलविद्युत जैसे क्षेत्रों में राज्य की उल्लेखनीय उपलब्धियाँ संपूर्ण देश के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं।

समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं और अद्वितीय प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण हिमाचल प्रदेश ने भारत की साझा विरासत में एक विशिष्ट योगदान दिया है। हिमाचल प्रदेश और देश के अन्य भागों, जिनमें हमारे द्वीपीय क्षेत्र भी सम्मिलित हैं, के मध्य विचारों, परंपराओं और अनुभवों का निरंतर आदान–प्रदान राष्ट्रीय एकता को गहरा करने और आपसी समझ को बढ़ावा देने में सहायक है।

पर्यावरण संरक्षण और सतत् विकास के प्रति राज्य का सक्रिय दृष्टिकोण संतुलित विकास के लिए महत्वपूर्ण सीख प्रदान करता है। यह प्रयास "एक भारत, श्रेष्ठ भारत" के वास्तविक सार को दर्शाते हैं, जहां प्रत्येक क्षेत्र की प्रगति पूरे राष्ट्र को सुदृढ़ बनाती है।

मैं हिमाचल प्रदेश के सभी लोगों, विशेषकर द्वीपों में रह रहे वहां के निवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आशा है कि यह विशेष दिन माननीय प्रधानमंत्री जी के 'विकसित भारत' के सपने को साकार करने की दिशा में मिलकर काम करने की हमारी साझा प्रतिबद्धता को और अधिक सुदृढ़ करेगा।

(एडमिरल डी.के. जोशी)
पीवीएसएम, एवीएसएम, वाईएसएम, एनएम, वीएसएम (अ.प्रा.)
उप राज्यपाल
अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह
एवं उपाध्यक्ष, द्वीप विकास एजेंसी

डॉ. बी. आर. अंबेडकर की 135वीं जयंती पर समारोह आज

श्री विजय पुरम, 13 अप्रैल

हर साल की तरह, 14 अप्रैल को अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन द्वारा एसवीपीएमसी के अंबेडकर सभागार के मुख्य प्रवेश द्वार के पास स्थित डॉ. बी. आर. अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए भव्य समारोह का आयोजन किया जाएगा। अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के मुख्य सचिव श्री चन्द्र भूषण कुमार (आईएएस) उनकी 135वीं जयंती के अवसर पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे।

प्राप्त विज्ञप्ति में सभी लोगों से अनुरोध किया गया है कि कृपया 14 अप्रैल, 2026 को डॉ. बी. आर. अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए समारोह स्थल पर उपस्थित हों और सुबह 6 बजे तक अपनी जगह पर बैठ जाएं।

अम्बेडकर जयंती पर आज अवकाश की घोषणा

श्री विजय पुरम, 13 अप्रैल

भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली के कार्यालय ज्ञापन संख्या 12/4/2020–जेसीए दिनांक 9 अप्रैल, 2026 के अनुसार, अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के माननीय उप राज्यपाल ने डॉ. बी. आर. अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर मंगलवार, 14 अप्रैल, 2026 को संघ राज्य क्षेत्र के सभी सरकारी कार्यालयों, संस्थानों, सार्वजनिक उपक्रमों एवं औद्योगिक प्रतिष्ठानों में अवकाश घोषित किया है। सहायक सचिव (सामान्य प्रशासन) द्वारा जारी विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गई है।

माननीय सांसद द्वारा नगरपालिका वार्डों में सीआरआईएफ निधि से सड़कों के निर्माण कार्यों का शिलान्यास

श्री विजय पुरम, 13 अप्रैल

अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के माननीय सांसद श्री बिष्णु पद राय ने नगरपालिका क्षेत्र के विभिन्न वार्डों में सड़कों एवं संपर्क मार्गों के मरम्मत एवं पुनः सतहीकरण कार्यों का शिलान्यास किया। ये कार्य कुल आठ स्थानों–हैडो वार्ड संख्या–1, जंगलीघाट वार्ड संख्या–9, अनारकली वार्ड संख्या–3, डेयरी फार्म वार्ड संख्या–15, शादीपुर वार्ड संख्या–10, साउथ प्वाइंट वार्ड संख्या–10 तथा नयागांव वार्ड संख्या–12 में किए जाएंगे। इन अत्यंत आवश्यक अवसंरचनात्मक कार्यों को केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि (सीआरआईएफ) के अंतर्गत स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसका उद्देश्य दैनिक यात्रियों, पैदल चलने वालों तथा वाहनों के लिए सुगम संपर्क, सुरक्षित परिवहन एवं निर्बाध आवागमन सुनिश्चित करना है। लंबे समय से ये सड़कें नगरपालिका परिषद की वित्तीय सीमाओं के कारण जर्जर स्थिति में थीं, जिससे आवश्यक मरम्मत एवं रखरखाव कार्य नहीं हो पा रहे थे। स्थिति की गंभीरता एवं जनता को हो रही असुविधा को देखते हुए सांसद श्री बिष्णु पद राय ने इस समस्या के समाधान के लिए सक्रिय पहल की। उनके सतत प्रयासों, निरंतर अनुश्रवण

शेष पृष्ठ 4 पर

द्वीपों में वन अतिक्रमणकारी परिवारों के पुनर्वास हेतु माननीय सांसद ने की त्वरित कार्रवाई की मांग

श्री विजय पुरम, 13 अप्रैल

अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के माननीय सांसद श्री बिष्णु पद राय ने माननीय प्रधानमंत्री, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री तथा माननीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री से वन अतिक्रमणकारी परिवारों के लंबे समय से लंबित पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन योजना को स्वीकृति एवं क्रियान्वयन हेतु त्वरित हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है।

सांसद कार्यालय से प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार श्री राय ने बताया कि द्वीपसमूह के विभिन्न क्षेत्रों में प्री–1978 एवं पोस्ट–1978 श्रेणी के अंतर्गत आने वाले हज़ारों वन अतिक्रमणकारी परिवारों की पहचान की जा चुकी है, जो अभी भी उचित पुनर्वास की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

द्वीपों में पेट्रोल, डीज़ल और एलपीजी की आपूर्ति पर्याप्त : आईओसीएल

श्री विजय पुरम, 13 अप्रैल

भारतीय तेल निगम लिमिटेड (आईओसीएल) ने पुष्टि की है कि अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में पेट्रोल, डीज़ल तथा तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) की उपलब्धता वर्तमान मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।

अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के राज्य स्तरीय समन्वयक (एसएलसी) श्री राकेश कुमार ने बताया कि आईओसीएल आपूर्ति की स्थिति पर लगातार निगरानी रख रहा है और श्री विजय पुरम स्थित इसके प्रतिष्ठानों पर पेट्रोलियम एवं एलपीजी की आपूर्ति में किसी प्रकार की बाधा नहीं आई है। द्वीपसमूह में ईंधन की आपूर्ति निरंतर जारी है। आईओसीएल, अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के साथ समन्वय बनाकर आपूर्ति की स्थिरता सुनिश्चित कर रहा है। एसएलसी ने आगे जानकारी दी कि वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान घरेलू एलपीजी में 4.87 प्रतिशत तथा गैर–घरेलू एलपीजी में 20.21 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज़ की गई है और भारतीय तेल भविष्य की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है।

उपभोक्ताओं को सलाह दी गई है कि वे एलपीजी रिफिल की बुकिंग एसएमएस, मिस्ड कॉल या आईवीआरएस प्लेटफॉर्म के माध्यम से करें। सही उपभोक्ता तक डिलीवरी सुनिश्चित करने हेतु डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड (डीएसी) का उपयोग करने की भी सलाह दी गई है। बिना स्थानीय पते के प्रमाण वाले प्रवासी श्रमिकों एवं छात्रों के लिए, अधिकृत इंडेन वितरकों के माध्यम से 5 किलोग्राम एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध

शेष पृष्ठ 4 पर

यूटीएटीएमए की अंतर–विभागीय कार्य समूह बैठक में कृषि योजनाओं की प्रगति की समीक्षा

श्री विजय पुरम, 13 अप्रैल

संघ राज्य क्षेत्र कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी (यूटीएटीएमए) की अंतर–विभागीय कार्य समूह (आईडीडब्ल्यूजी) की बैठक आज सचिवालय के मिनी सम्मेलन कक्ष में सचिव (कृषि)/मत्स्य/पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवा तथा यूटीएटीएमए के आईडीब्ल्यूजी के अध्यक्ष की अध्यक्षता में आयोजित की गई।

बैठक का उद्देश्य वर्ष 2025–26 के दौरान एटीएमए की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा करना तथा वर्ष 2026–27 के लिए राज्य विस्तार कार्य योजना (एसइडब्ल्यूपी) को राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति (एसएलएससी) से अनुमोदन हेतु अनुशंसा करना था। अध्यक्ष, आईडीडब्ल्यूजी ने ज़ोर देते हुए कहा कि पिछले वर्ष की कमियों को दूर किया जाए तथा वित्तीय वर्ष 2026–27 में प्रस्तावित लक्ष्यों एवं गतिविधियों को योजनाबद्ध तरीके से समय पर पूरा किया जाए।

सभी तीन ज़िलों में संबंधित उपायुक्तों की अध्यक्षता में ज़िला किसान सलाहकार समितियों के गठन के निर्देश दिए गए, जो ज़िला स्तर पर एटीएमए योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने तथा किसानों की प्रतिक्रिया प्राप्त कर योजना निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।

इसके अतिरिक्त, एटीएमए के रिक्त पदों को शीघ्र भरने के

शेष पृष्ठ 4 पर

द्वीप खाद्य महोत्सव 2026 के अंतर्गत पाक कला प्रतियोगिता हेतु आवेदन आमंत्रित

श्री विजय पुरम, 13 अप्रैल

द्वीप खाद्य महोत्सव 2026–"स्वाद, संस्कृति और परंपरा का उत्सव" थीम पर आधारित पाक कला (कुकिंग) प्रतियोगिताओं के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। यह प्रतियोगिताएं 17 से 19 अप्रैल, 2026 तक प्रदर्शनी मैदान (आईटीएफ ग्राउंड), श्री विजय पुरम में आयोजित की जाएंगी।

प्रतियोगिता कार्यक्रम:

- 17 अप्रैल: रिफ्रेश एंड रिवाइव–आइलैंड वेलकम ड्रिंक (आम, नारियल, खरबूजा, चीकू आदि स्थानीय उत्पादों का उपयोग)
- 18 अप्रैल: फल एवं सब्ज़ी तराशना (स्थानीय रूप से उपलब्ध फलों एवं सब्ज़ियों का उपयोग)
- 19 अप्रैल: थीम आधारित केक सजावट

महत्वपूर्ण सूचना:

केवल बिना आग (नो–फायर) वाली तैयारियां ही अनुमत होंगी।
प्रतिभागियों को अपनी सामग्री एवं बर्तन स्वयं लाने होंगे।
विजेताओं को ट्रॉफी एवं प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे।
मूल्यांकन पूर्णतः रचनात्मकता, स्वाद, प्रस्तुति, स्वच्छता एवं थीम के अनुरूपता के आधार पर किया जाएगा।

सूचना प्रचार एवं पर्यटन निदेशालय से प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार इच्छुक प्रतिभागी अपने विवरण सहित प्रविष्टियां निर्धारित प्रारूप में **andamantourismgh@gmail.com** पर भेज सकते हैं। आवेदन पत्र पर्यटन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट **tourism.andamannicobar.gov.in** के "व्हाट्स न्यू" कॉलम https://tourism.andamannicobar.gov.in/userpages/admin/whatsnewfile/2026041369Application%20for%20cooking%20competition%20during%20Island%20Food%20festival%202026.pdf में उपलब्ध है। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 15 अप्रैल 2026, सुबह 10 बजे तक है।

शेष पृष्ठ 4 पर

स्थानीय एसएचजी उत्पादों के प्रोत्साहन हेतु पर्यटन क्षेत्र के साथ सहयोग बढ़ाने पर बैठक हुई

श्री विजय पुरम, 13 अप्रैल

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्था निदेशालय, मरीन हिल, श्री विजय पुरम के सम्मेलन कक्ष में आज होटलियर संघ, कैब संघ एवं स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक आयोजित की गई। बैठक का उद्देश्य आतिथ्य एवं पर्यटन क्षेत्र के हितधारकों के साथ मजबूत समन्वय स्थापित कर स्थानीय रूप से उत्पादित एसएचजी उत्पादों के प्रोत्साहन के लिए नए अवसर तलाशना था। इस बैठक में पर्यटन संगठनों, होटल संघों, कैब संचालकों तथा एसएचजी सदस्यों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। बैठक के दौरान एसएचजी और होटल/कैब संचालकों के बीच सहयोग बढ़ाने, स्थानीय उत्पादों की आपूर्ति एवं प्रचार–प्रसार को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। प्रतिभागियों ने बताया कि आतिथ्य एवं पर्यटन क्षेत्र में स्थानीय उत्पादों की मांग लगातार बढ़ रही है और एसएचजी उत्पादन को बाज़ार

शेष पृष्ठ 4 पर

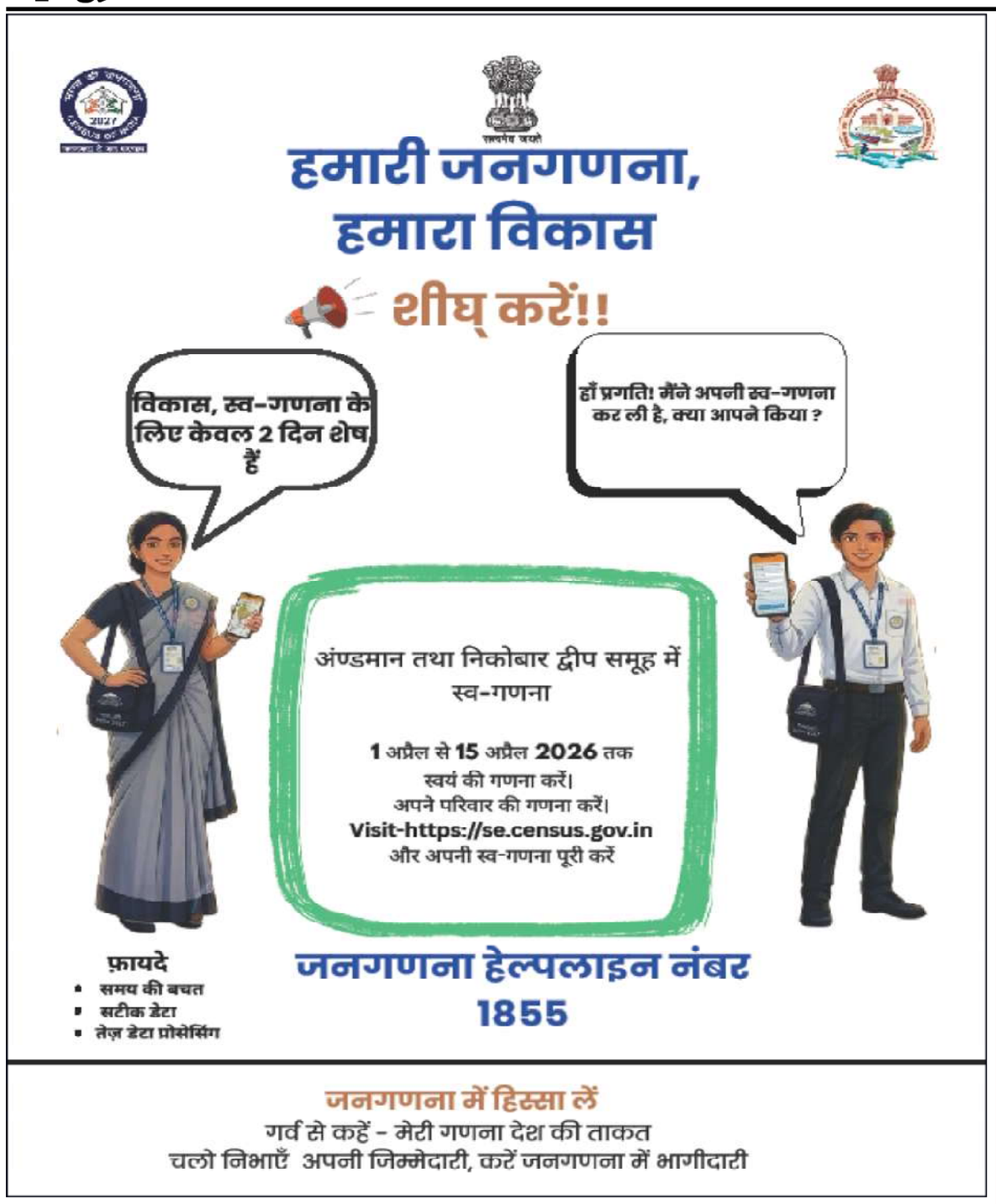

दक्षिण अण्डमान की ग्राम पंचायतों में लगेंगे विशेष आधार शिविर

श्री विजय पुरम, 13 अप्रैल

आम जनता की सुविधा हेतु नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा अप्रैल, 2026 के दौरान ग्राम पंचायतों में विशेष आधार शिविर आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों का समय सुबह 9.30 बजे से सायं 4 बजे तक रहेगा। प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार दक्षिण अण्डमान के शोर प्वाइंट में 15 और 16 अप्रैल को, बम्बूफ्लाट–1 में 17 और 20 अप्रैल को, बम्बूफ्लाट–2 में 21 और 22 अप्रैल को, स्टीवर्टगंज में 23 और 24 अप्रैल को, होप टाउन में 27 और 28 अप्रैल को तथा सीपीघाट में 29 और 30 अप्रैल, 2026 को शिविर आयोजित किया जायेगा। सभी से अनुरोध किया गया है कि इस अवसर का लाभ उठाएं तथा विशेष आधार शिविरों में अपने आधार से संबंधित कार्य पूर्ण कराएं।

कार निकोबार में ग्राम व जनजातीय प्रमुखों के साथ जन सुनवाई सह नागरिक समिति की बैठक हुई

कार निकोबार, 13 अप्रैल

निकोबार ज़िला के पुलिस अधीक्षक श्री राहुल एल. नायर (आईपीएस) ने एसडीपीओ तथा थाना प्रभारी (एसएचओ), कार निकोबार के साथ मिलकर 11 अप्रैल, 2026 को कार निकोबार में मुख्य कप्तान, जनजातीय परिषद के सदस्यों एवं ग्राम/समुदाय प्रमुखों के साथ जन सुनवाई सह नागरिक समिति की बैठक आयोजित की। यह सत्र सामुदायिक मुद्दों पर सार्थक संवाद के लिए एक महत्वपूर्ण मंच सिद्ध हुआ, जिसमें सक्रिय जन सहयोग के माध्यम से पुलिस व्यवस्था को सुदृढ़ करने पर विशेष ज़ोर दिया गया। बैठक में प्रमुख रूप से युवाओं को नशीले पदार्थों से दूर रखने हेतु प्रेरित करना, यातायात नियमों के पालन को बढ़ावा देना तथा आम जनता और पुलिस के बीच सूचना के आदान–प्रदान को सुदृढ़ करने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई।

प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार इस संवाद में रचनात्मक भागीदारी और सामूहिक संकल्प देखने को मिला, जो सुरक्षित, जागरूक एवं ज़िम्मेदार समाज के निर्माण के प्रति पुलिस और

समुदाय के नेताओं की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। निकोबार ज़िला पुलिस ने जनता के साथ विश्वास, सहयोग और सक्रिय सहभागिता को बढ़ावा देने तथा पुलिसिंग की पहलों में समुदाय की आवाज़ को केंद्र में बनाए रखने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को पुनः दोहराया। आम जनता से अनुरोध किया गया है कि किसी भी अपराध या अन्य अवैध गतिविधियों से संबंधित जानकारी पुलिस को फोन नंबर 112, 03192–265223 और 9531856152 पर साझा करें। सूचना देने वाले की पहचान गोपनीय रखी जाएगी।

जेएनआरएम द्वारा संगोष्ठी आयोजित

श्री विजय पुरम, 13 अप्रैल

यहां के जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय (जेएनआरएम) के ऐतिहासिक अध्ययन विभाग द्वारा 13 अप्रैल, 2026 को "सार्वजनिक स्मृति और ऐतिहासिक आख्यानः जलियांवाला बाग की स्मृति" विषय पर विभागीय संगोष्ठी आयोजित कर जलियांवाला बाग हत्याकांड का स्मृति दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में जेएनआरएम की प्राचार्या डॉ. पर्ल देवदास मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथियों के रूप में भूगोल के स्नातकोत्तर विभाग के सह–प्राध्यापक डॉ. आर. जी. एस. बघेल तथा सहायक प्राध्यापक डॉ. सत्य प्रकाश उपस्थित थे। कार्यक्रम में ऐतिहासिक अध्ययन विभाग के सह–प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष डॉ. रतन मजूमदार, कार्यक्रम समन्वयक एवं सहायक प्राध्यापक श्री एल. वैफेई, संकाय सदस्य एवं छात्र–छात्राएं भी उपस्थित रहे।

अपने संबोधन में प्राचार्या ने जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसी ऐतिहासिक त्रासदियों को स्मरण रखने के महत्व पर बल दिया तथा सामूहिक स्मृति के संरक्षण और इतिहास की समालोचनात्मक समझ को बढ़ावा देने में शैक्षणिक संस्थानों की भूमिका को रेखांकित किया। संगोष्ठी में औपनिवेशिक

हिंसा, सार्वजनिक स्मृति, इतिहासलेखन एवं ऐतिहासिक चेतना जैसे विषयों पर सार्थक चर्चा की गई। संकाय सदस्यों एवं छात्रों ने सक्रिय रूप से भाग लेते हुए समकालीन परिप्रेक्ष्य में इस घटना की निरंतर प्रासंगिकता पर विचार–विमर्श किया। प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार बीए प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के छात्रों ने विषय से संबंधित शोध–पत्र प्रस्तुत किए, जिसमें ऐतिहासिक अन्यायों के दस्तावेज़ीकरण एवं पुनः अवलोकन की आवश्यकता पर बल दिया गया, ताकि सार्वजनिक स्मृति और राष्ट्रीय चेतना को सुदृढ़ किया जा सके।

इग्नू द्वारा छात्र चर्चा मंच संचालित

श्री विजय पुरम, 13 अप्रैल

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू), क्षेत्रीय केंद्र, पोर्ट ब्लेयर द्वारा 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023' के पारित होने के उपलक्ष्य में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया तथा विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट उपलब्धि हासिल करने वाली छात्राओं को सम्मानित किया गया।

इस अवसर पर 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023' के त्वरित क्रियान्वयन पर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई), डॉलीगंज, श्री विजय पुरम में चर्चा आयोजित की गई। इसका उद्देश्य छात्रों को लोकसभा एवं राज्य विधान सभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण के इस नए कानून के परिवर्तनकारी प्रभावों के बारे में जागरूक करना था। आईटीआई की छात्राओं के बीच वाद–विवाद प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, जिसमें महिला प्रतिभागियों ने अपने विचार व्यक्त किए तथा महिलाओं के प्रतिनिधित्व में लैंगिक असमानता से संबंधित मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार कार्यक्रम की शुरुआत इग्नू के क्षेत्रीय निदेशक एवं कार्यक्रम समन्वयक प्रो. (डॉ.) सुनील जैकब के 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023' विषय पर संबोधन से हुई। इसके पश्चात इग्नू के सहायक क्षेत्रीय निदेशक डॉ. उदय कुमार ने प्रतिभागियों को चर्चा के लिए आवश्यक दिशा–निर्देश प्रदान किए। कार्यक्रम में 100 से अधिक छात्रों ने भाग लिया, जिनमें 10 छात्राओं ने "राजनीति और नौकरशाही में महिलाओं

के कम प्रतिनिधित्व की चुनौतियाँ और प्रभाव" विषय पर चर्चा में सहभागिता की। प्रतियोगिता के विजेताओं को इग्नू क्षेत्रीय केंद्र, पोर्ट ब्लेयर द्वारा पदक एवं प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। प्रथम स्थान बिनीता साहा, द्वितीय स्थान नीशिता जयधर एवं एस. ज़ैदा करीम तथा तृतीय स्थान दिशा ने प्राप्त किया। सभी प्रतिभागियों को सहभागिता प्रमाण पत्र भी प्रदान किए गए।

द्वीप खाद्य महोत्सव 2026 के अंतर्गत पाक ——पृष्ठ 1 का शेष

पंजीकरण हेतु संपर्क करें:
श्रीमती अनीला एक्का, हेड क्लर्क, सूचना, प्रचार एवं पर्यटन निदेशालय–मोबाइल 9474217630
श्रीमती रेशमा, कंसल्टेंट, ग्रामीण विकास विभाग–मोबाइल 7063970389

अधिक जानकारी हेतु प्रबंधक (पर्यटन/ऑपरेशन्स/जीएच), सूचना, प्रचार एवं पर्यटन निदेशालय से मोबाइल नंबर 9933255364 पर संपर्क किया जा सकता है।

द्वीपों में पेट्रोल, डीज़ल और एलपीजी ——पृष्ठ 1 का शेष

हैं। इसके लिए वैध सरकारी फोटो पहचान पत्र तथा स्व–घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा।

भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुसार, शहरी क्षेत्रों में घरेलू एलपीजी उपभोक्ता पिछले वितरण के 25 दिन बाद तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिन बाद रिफिल बुक कर सकते हैं। आईओसीएल द्वारा एलपीजी वितरकों पर नियमित निरीक्षण किए जा रहे हैं ताकि नियमों का पालन और आपूर्ति की निरंतरता सुनिश्चित की जा सके। अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन भी बाज़ार की सक्रिय निगरानी कर रहा है, उपभोक्ताओं से फीडबैक ले रहा है तथा जमाखोरी एवं कालाबाज़ारी रोकने के लिए रैंडम जांच कर रहा है।

निगरानी को और सुदृढ़ करने के लिए, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन ने एक कंट्रोल रूम स्थापित किया है, जिसका उद्देश्य है:

- द्वीपसमूह में एलपीजी एवं पेट्रोलियम उत्पादों के वास्तविक समय के स्टॉक की निगरानी
- टोल–फ्री नंबर 18003453197 तथा टेलीफोन नंबर 03192–230337 पर प्राप्त शिकायतों का पंजीकरण एवं सत्यापन
- श्री आर. लिनु नायर, सहायक निदेशक (पीजी) (संपर्क नंबर 9434274093) को कंट्रोल रूम का नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है एवं एलपीजी से संबंधित किसी भी शिकायत के लिए उपभोक्ता आईओसीएल के निम्न अधिकारियों से भी संपर्क कर सकते हैं:–
- श्री पृथ्वीराज दास, प्रबंधक (सीसी एवं एलपीजी–सेल्स), श्री विजय पुरम एलपीजी सेल्स एरिया– मोबाइल–7033162218
- श्री उज्ज्वल कुमार, प्रबंधक (रिटेल सेल्स), श्री विजय पुरम रिटेल सेल्स एरिया–मोबाइल–7471122450

नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय से प्राप्त विज्ञप्ति में आम जनता को यह भी सलाह दी गई है कि वे किसी भी प्रकार की कमी की अफवाहों पर ध्यान न दें और घबराहट में अनावश्यक खरीदारी से बचें।

स्थानीय एसएचजी उत्पादों के प्रोत्साहन हेतु ——पृष्ठ 1 का शेष

की आवश्यकताओं के अनुरूप ढालने की आवश्यकता है।

प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार होटलों एवं प्रमुख पर्यटन स्थलों पर एसएचजी उत्पादों के लिए बिक्री केंद्र एवं प्रदर्शन काउंटर स्थापित करने की योजना पर भी विचार किया गया। इस पहल को समर्थन देने के लिए सभी हितधारकों ने अपनी सहमति व्यक्त की, ताकि पर्यटकों के बीच स्थानीय उत्पादों की पहुंच और दृश्यता बढ़ाई जा सके। बैठक का समापन एसएचजी और पर्यटन क्षेत्र के बीच साझेदारी को और सुदृढ़ करने के सर्वसम्मति के साथ हुआ, जिसमें सतत आजीविका के अवसर सृजित करने और द्वीपसमूह में स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने पर विशेष ज़ोर दिया गया।

यूटीएटीएमए की अंतर–विभागीय कार्य समूह ——पृष्ठ 1 का शेष

निर्देश दिए गए, ताकि योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त जनशक्ति उपलब्ध हो सके। वर्ष 2026–27 के लिए प्रारूप राज्य विस्तार कार्य योजना (एसईडब्ल्यूपी) पर विस्तार से चर्चा की गई, जिसमें निम्नलिखित प्रमुख निर्देश दिए गए:

- संबंधित विभागों एवं प्रतिष्ठित संस्थानों जैसे आईसीएआर–केवीके, सीआईएआरआई, एमएएनएजीई एवं नाबार्ड के साथ समन्वय कर एटीएमए कार्मिकों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों को अंतिम रूप देना।
- "स्पाइस प्रवाह" पहल, एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन एवं अन्य आवश्यकता–आधारित गतिविधियों पर विशेष ज़ोर देना।
- मसाला खेती पर विशेष ध्यान देते हुए किसान समूहों एवं कमोडिटी आधारित रुचि समूहों (सीआईजी) का गठन।
- कृषि एक्सपो, क्षेत्रीय मेले एवं ज़िला स्तरीय मेलों का आयोजन पर्याप्त वित्तीय प्रावधान के साथ करना।
- कृषि, पशुपालन एवं मत्स्य क्षेत्रों में राज्य, ज़िला एवं खंड स्तर पर सर्वश्रेष्ठ किसान पुरस्कार की स्थापना।
- सूचना, शिक्षा एवं संचार (आईईसी) गतिविधियों को सुदृढ़ करना, जिसमें पुस्तिकाएं, पैम्फलेट एवं वीडियो दस्तावेज़ तैयार करना शामिल है।
- कृषि एवं संबद्ध विभागों द्वारा नवाचार गतिविधियों के प्रस्ताव प्रस्तुत करना।

बैठक की शुरुआत में संयुक्त निदेशक (कृषि)/मुख्यालय एवं परियोजना निदेशक (एटीएमए) ने अध्यक्ष एवं उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत किया। इस दौरान विस्तार सुधारों की गतिविधियों एवं आईडीडब्ल्यूजी यूटीएटीएमए के एजेंडा पर विस्तृत प्रस्तुति दी गई।

प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार बैठक में यूटीएटीएमए के आईडीडब्ल्यूजी के सदस्य, कार निकोबार एवं मायाबंदर के सहायक आयुक्त, सहायक आयुक्त (मुख्यालय), निदेशक (कृषि), निदेशक (मत्स्य), प्रभारी निदेशक (पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवा), केवीके प्रभारी, अंचल अधिकारी तथा वन, समाज कल्याण, ग्रामीण विकास और नाबार्ड सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी भौतिक एवं वर्चुअल माध्यम से उपस्थित रहे।

माननीय सांसद द्वारा नगरपालिका वार्डों ——पृष्ठ 1 का शेष

तथा केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन के सहयोग से सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार से सीआरआईएफ योजना के अंतर्गत आवश्यक धनराशि प्राप्त की गई। इस पहल से लंबे समय से लंबित सड़क सुधार कार्यों के शीघ्र क्रियान्वयन का मार्ग प्रशस्त हुआ, जिससे नगर क्षेत्र के निवासियों को बड़ी राहत मिलेगी। शिलान्यास समारोह में श्री विजय पुरम नगरपालिका परिषद की अध्यक्ष, संबंधित वार्डों के पार्षद, आम नागरिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। उपस्थित सभी लोगों ने जनकल्याण एवं अवसंरचना विकास को प्राथमिकता देने हेतु माननीय सांसद के प्रयासों एवं प्रतिबद्धता की सराहना की। सांसद कार्यालय से प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार यह पहल क्षेत्र की सड़कों की समग्र स्थिति में सुधार लाने, बेहतर संपर्क सुविधा प्रदान करने तथा क्षेत्र के सामाजिक–आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने की अपेक्षा की जाती है। स्थानीय निवासियों ने इस पहल का स्वागत करते हुए अपनी लंबे समय से लंबित समस्या के समाधान हेतु आभार व्यक्त किया।

फायरिंग अभ्यास

श्री विजय पुरम, 13 अप्रैल

मैन्युवर्स, फील्ड फायरिंग एवं आर्टिलरी प्रैक्टिस अधिनियम, 1938 की धारा 10(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दक्षिण अण्डमान के ज़िलाधीश द्वारा जारी अधिसूचना में सूचित किया गया है कि अण्डमान तथा निकोबार पुलिस द्वारा स्मॉल आर्म्स रेंज फायरिंग अभ्यास तथा टियर स्मोक म्यूनिशन का प्रदर्शन फायरिंग, नेताजी सुभाष चंद्र बोस पुलिस प्रशिक्षण संस्थान, श्री विजय पुरम के पुलिस फायरिंग रेंज, प्रोथरापुर में आयोजित किया जाएगा। यह अभ्यास 14, 16, 18 एवं 21 अप्रैल, 2026 को सुबह 6 बजे से दोपहर 1 बजे तक आयोजित होगा। आम जनता, विशेषकर बर्ड लाइन एवं प्रोथरापुर क्षेत्र के निवासियों को सलाह दी गई है कि वे निर्धारित तिथि एवं समय पर स्वयं तथा अपने पालतू पशुओं को फायरिंग रेंज से दूर रखें।

जहाज़ यात्रा में परिवर्तन

श्री विजय पुरम, 13 अप्रैल

जहाज़रानी सेवा निदेशालय से प्राप्त विज्ञप्ति में यात्रियों/आम जनता को सूचित किया गया है कि जहाज़ नालंदा के कोलकाता क्षेत्र में तैनाती के कारण, 19 अप्रैल, 2026 (रविवार) को सुबह 8 बजे श्री विजय पुरम से लिटिल अण्डमान के लिए निर्धारित यात्रा तथा उसी दिन रात्रि 9 बजे वापसी यात्रा रद्द कर दी गई है।

Scan QR Code to open on mobile.

हालांकि, यात्रियों की सुविधा हेतु वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। अब जहाज़ एमवी भारत सीमा 19 अप्रैल, 2026 (रविवार) को सुबह 8 बजे हैडो घाट से लिटिल अण्डमान के लिए प्रस्थान करेगा तथा उसी दिन रात्रि 9 बजे लिटिल अण्डमान से श्री विजय पुरम वापस आएगा। एमवी नालंदा के टिकट धारकों को सलाह दी गई है कि वे अपने वर्तमान टिकट रद्द कर एमवी भारत सीमा के लिए नए टिकट खरीदें। एमवी भारत सीमा के टिकट 16 अप्रैल, 2026 (गुरुवार) को सुबह 9 बजे से आम जनता के लिए उपलब्ध होंगे। टिकट डीएसएस ई–टिकटिंग पोर्टल **https://dss.andamannicobar.gov.in/ eticketing** के माध्यम से ऑनलाइन बुक किए जा सकते हैं। सुविधा के लिए, पोर्टल से सीधे जुड़ा एक क्यूआर कोड भी उपलब्ध है। वैकल्पिक रूप से, टिकट 'स्टार्स' टिकट काउंटर से भी खरीदे जा सकते हैं।

सूचना, प्रचार और पर्यटन निदेशालय द्वारा प्रकाशित तथा प्रबन्धक, राजकीय मुद्रणालय द्वारा मुद्रित, वितरण तथा विज्ञापन के लिए फोन–229465, प्रधान सम्पादक (प्रभारी) पी. कैरल डी. सोणी
e-mail:dweepsamachar@gmail.com

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन
सचिवालय

अधिसूचना

श्री विजय पुरम दिनांक 6 अप्रैल, 2026

सं– 70/2026/फाइल सं. 2–116/2026– राजस्व.– जनगणना नियमावली, 1990 के नियम 8(ii) के साथ पठित भारत सरकार, गृह मंत्रालय के दिनांक 12.03.2026 की पत्र सं. 9/3/2026-CD (Cen.)1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उप राज्यपाल (प्रशासक), अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह एतदद्वारा संघ राज्यक्षेत्र अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह की आम जनता से जनगणना के दौरान उनसे पूछे जाने वाले प्रश्नों के संबंध में सटीक और स्पष्ट जानकारी देने में सहयोग करने की अपील करते हैं, और ऐसा न करने पर वे जनगणना अधिनियम, 1948 की धारा 11 के तहत निर्धारित दंडों से दंडनीय होगा :

i जनगणना, सबसे छोटी प्रशासनिक इकाइयों अर्थात ; ग्रामीण क्षेत्रों में गाँवों और शहरी क्षेत्रों में नगरों/वार्डों तक आवास की स्थिति, सुख–सुविधाओं और संपत्तियों, जनसांख्यिकी, साक्षरता, धर्म, आर्थिक गतिविधियों, प्रवासन, प्रजनन क्षमता आदि से संबंधित डेटा का प्राथमिक स्रोत है। इसका उपयोग केंद्र/राज्य/संघ राज्यक्षेत्र की सरकारों द्वारा आयोजन एवं नीति–निर्माण तथा प्रभावी लोक प्रशासन में व्यापक रूप से किया जाता है। इसके अलावा, जनगणना डेटा का उपयोग संसदीय, विधानसभा, पंचायतों तथा अन्य स्थानीय निकायों के निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन और आरक्षण हेतु किया जाता है। अतः आम जनता से अपेक्षा की जाती है कि वे जनगणना कार्य में सहयोग करें और सही जानकारी प्रदान करें। जनगणना अधिनियम, 1948 के कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानों को आम जनता की सूचना के लिए नीचे पुनः उद्धृत किया गया है।

ii धारा 8 :– प्रश्न पूछना और उत्तर देने का दायित्व :

1. एक जनगणना अधिकारी उस स्थानीय क्षेत्र, जिसके लिए उसे नियुक्त किया गया है, की सीमाओं के भीतर रहने वाले सभी व्यक्तियों से ऐसे सभी प्रश्न पूछ सकता है, जो केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में जारी किए गए अनुदेशों, जिन्हें शासकीय राजपत्र में प्रकाशित किया गया है, के द्वारा उसे पूछने का निर्देश दिया गया है।

2. प्रत्येक व्यक्ति, जिससे उप–धारा (1) के तहत कोई प्रश्न पूछा जाता है, तब वह ऐसे प्रश्न का उत्तर अपनी सर्वोत्तम जानकारी या विश्वास के अनुसार देने के लिए विधिक रूप से बाध्य होगा :

परंतु यह कि किसी भी व्यक्ति को अपने घर के किसी महिला सदस्य का नाम बताने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, और न ही किसी भी महिला को अपने पति, दिवंगत पति, या किसी अन्य ऐसे व्यक्ति का नाम बताने के लिए बाध्य किया जाएगा, जिसका नाम लेना उसकी प्रथाओं / रीति–रिवाजों के अनुसार वर्जित है।

iii धारा 9 :– अधिभोगी द्वारा प्रवेश करने और संख्याएँ अंकित करने/चिपकाने की अनुमति देना:

किसी भी मकान, अहाते, जलयान या अन्य स्थान में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा जनगणना अधिकारियों को उस स्थान पर प्रवेश/ पहुँचने की उतनी अनुमति देगा जितनी उन्हें जनगणना के उद्देश्य के लिए आवश्यक हो और जो देश के रीति–रिवाजों / परंपराओं के अनुसार उचित हो, और साथ ही उन्हें उस स्थान पर ऐसे अक्षरों, निशानों या संख्याओं को लिखने या लगाने की अनुमति देगा, जो जनगणना के प्रयोजन हेतु आवश्यक हो।

iv धारा 10 :– अधिभोगी या प्रबंधक द्वारा अनुसूची को भरा जाना :

1. इस संबंध में जनगणना आयुक्त द्वारा जारी किए जाने वाले ऐसे आदेशों के अधीन रहते हुए जनगणना अधिकारी द्वारा उस स्थानीय क्षेत्र, जिसके लिए उसे नियुक्त किया गया है, के भीतर स्थित किसी भी रिहायशी मकान पर या किसी वाणिज्यिक या औद्योगिक प्रतिष्ठान के प्रबंधक या किसी अधिकारी के पास, एक प्रपत्र/अनुसूची (schedule) को उस मकान में रहने वाले लोगों द्वारा या उस प्रबंधक या अधिकारी के द्वारा या उस प्रबंधक या अधिकारी के द्वारा नियोजित व्यक्ति, जैसा भी मामला हो, के द्वारा उस अनुसूची को पूर्ण रूप से या उसके किसी भाग को भरने के प्रयोजन लिए छोड़ सकता है या रखवा सकता है और उस प्रपत्र पर उस मकान या उसके किसी भाग में रहने वाले लोगों के ऐसे विवरणों को भरा जाएगा जैसा कि जनगणना आयुक्त के द्वारा जनगणना के दौरान निर्देशित किया जाएगा।

2. जब ऐसे प्रपत्र/अनुसूची को छोड़ा/रखवाया गया हो, तो उक्त अधिभोगी, प्रबंधक या अधिकारी या उस प्रबंधक या अधिकारी के द्वारा नियोजित व्यक्ति, जैसा भी मामला हो,उसे अपनी सर्वोत्तम जानकारी या विश्वास से ऐसे मकान या उसके किसी हिस्से में रहने वाले व्यक्तियों, जैसा भी मामला हो, के संबंध में विवरणों को उल्लिखित समय पर प्रपत्र में भरेगा या भरवाएगा और ऐसे अपेक्षा करने पर वह उसमें अपना नाम लिखकर हस्ताक्षर करेगा और वह ऐसे भरे हुए एवं हस्ताक्षरित प्रपत्र/अनुसूची को जनगणना अधिकारी को या जनगणना अधिकारी के द्वारा निर्देशित अनुसार किसी अन्य व्यक्ति को सौंप देगा।

v धारा 11 :– दंड/शास्तियाँ :

(1) (क) कोई जनगणना अधिकारी या कोई व्यक्ति जिससे विधिपूर्वक जनगणना कराने में सहायता प्रदान करने की अपेक्षा की गई हो और जो इस अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाए गए किसी नियम के द्वारा उसको सौंपे गए किसी कर्तव्य का निर्वहन करने से इनकार करता है, या कोई व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा ऐसे किसी कर्तव्य का निर्वहन करने में बाधा पहुँचाता है या व्यवधान उत्पन्न करता है, या

(कक) कोई जनगणना अधिकारी या कोई व्यक्ति जिससे विधिपूर्वक जनगणना कराने में सहायता प्रदान करने की अपेक्षा की गई हो और जो इस अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाए गए किसी नियम के द्वारा उसको सौंपे गए किसी कर्तव्य का निर्वहन करने या आदेशों का पालन करने में समुचित तत्परता बरतने में लापरवाही करता है, या कोई व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा ऐसे किसी कर्तव्य का निर्वहन करने या ऐसे आदेशों का पालन में बाधा पहुँचाता है या व्यवधान उत्पन्न करता है, या;

(घ) कोई व्यक्ति, जो जनगणना अधिकारी द्वारा पूछे गए किसी प्रश्न का जानबूझकर गलत उत्तर देता है, या अपनी सर्वोत्तम जानकारी या विश्वास के अनुसार उत्तर देने से इनकार करता है, जिसका उत्तर देने के लिए वह धारा 8 के तहत विधिक रूप से बाध्य है, या

(ङ) कोई व्यक्ति, जो किसी मकान, अहाते, जहाज या अन्य स्थान पर रह रहा है और जनगणना अधिकारी को उस स्थान पर ऐसे उचित प्रवेश की अनुमति देने से इनकार करता है, जिसका धारा 9 के तहत अनुमति प्रदान करने हेतु उससे अपेक्षा की गई है, या

(च) कोई व्यक्ति, जो जनगणना के प्रयोजन के लिए लिखे गए या चिपकाए गए किसी अक्षर, चिह्न या संख्या को हटाता है, मिटाता है, बदलता है, या नुकसान पहुंचाता है, या

(छ) कोई व्यक्ति जिससे धारा 10 के अंतर्गत कोई प्रपत्र/अनुसूची को भरने की अपेक्षा की गई है और वह जानबूझकर एवं बिना पर्याप्त कारण के उस धारा के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करता है, या उसके अंतर्गत कोई गलत विवरण देता है, या

(ज) कोई व्यक्ति, जो जनगणना कार्यालय में अनाधिकृत रूप से प्रवेश करता है, वह जुर्माने से दंडनीय होगा, जो एक हजार रुपये तक का हो सकता है; और भाग (क) के तहत दोष सिद्धि होने पर, उसे कारावास से भी दंडित किया जाएगा, जो तीन वर्ष तक का हो सकता है।

(2) जो कोई उप–धारा (1) के तहत किसी अपराध का दुष्प्रेरण करता है, उसे जुर्माने से दंडित किया जाएगा, जो एक हज़ार रुपये तक का हो सकता है।

vi धारा 15:– जनगणना का अभिलेख न तो निरीक्षण के लिए खुले होते हैं और न ही साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य होते हैं :

किसी भी व्यक्ति को जनगणना अधिकारी द्वारा अपने कर्तव्य के निर्वहन में बनाई गई किसी भी पुस्तक, रजिस्टर या अभिलेख का, अथवा धारा 10 के अधीन दिए गए किसी भी प्रपत्र/अनुसूची का निरीक्षण करने का अधिकार नहीं होगा; और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 (2023 का 47) में इसके विपरीत किसी बात के होते हुए भी, किसी भी ऐसे पुस्तक, रजिस्टर, अभिलेख/रिकॉर्ड या प्रपत्र/अनुसूची की किसी भी प्रविष्टि को किसी दीवानी मामले की कार्यवाही में या किसी फौजदारी मामले की कार्यवाही में, सिवाय इस अधिनियम या किसी अन्य विधि के तहत चलाए जा रहे किसी ऐसे अभियोजन, जो किसी ऐसे कृत्य या चूक के लिए हो, जिसे इस अधिनियम के तहत एक अपराध माना गया है, साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य नहीं होगी।

उप राज्यपाल, अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
ह./–
(ए. येसु राज)
सहायक सचिव (राजस्व)
अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन

'मेक इन इंडिया' को बड़ा बढ़ावा: भारत में तेजस फाइटर जेट इंजन का रिपेयर सेंटर बनाने के लिए जीई एयरोस्पेस और भारतीय वायुसेना ने किया समझौता

नई दिल्ली, 13 अप्रैल।

'मेक इन इंडिया' पहल को मजबूती देते हुए अमेरिकी कंपनी जीई एयरोस्पेस ने सोमवार को भारतीय वायुसेना (आईएएफ) के साथ एक नया समझौता किया है। इसके तहत भारत में एफ404–आईएन20 इंजन के लिए रिपेयर और मेंटेनेंस सुविधा (डिपो) स्थापित की जाएगी, जो एचएएल के तेजस फाइटर जेट को शक्ति प्रदान करते हैं। यह नई सुविधा भारत में ही बनाई जाएगी और इसका संचालन भारतीय वायु सेना करेगी, जबकि जीई एयरोस्पेस तकनीकी सहयोग प्रदान करेगा।

इस कदम का उद्देश्य भारत की स्वदेशी रक्षा मेंटेनेंस क्षमता को मजबूत करना और दूसरे देशों पर निर्भरता को कम करना है। जब यह सुविधा चालू हो जाएगी, तो इंजन की मरम्मत और रखरखाव में लगने वाला समय काफी कम हो जाएगा, जिससे तेजस फाइटर जेट की उपलब्धता बेहतर होगी।

समझौते के तहत यह डिपो पूरी तरह से भारतीय वायु सेना के स्वामित्व और संचालन में रहेगा। वहीं जीई एयरोस्पेस तकनीकी विशेषज्ञता, प्रशिक्षण, सपोर्ट स्टाफ और जरूरी स्पेयर पार्ट्स व विशेष उपकरण उपलब्ध कराएगा। जीई एयरोस्पेस की डिफेंस एंड सिस्टम्स सेल्स और बिजनेस डेवलपमेंट की वाइस प्रेसिडेंट रीटा लेहर्टी ने कहा कि यह साझेदारी भारत की सशस्त्र सेनाओं को मजबूत करने की कंपनी की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

उन्होंने कहा कि इस नई सुविधा से तेजस बेड़े के लिए एफ404–आईएन20 इंजनों की उपलब्धता बेहतर

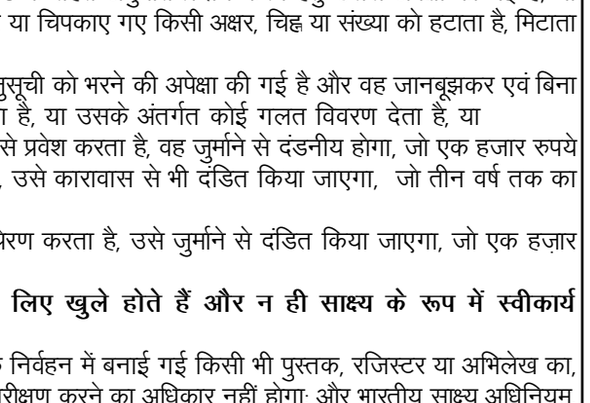

होगी और भारतीय वायु सेना को समय पर आधुनिक तकनीक मिल सकेगी। जीई एयरोस्पेस ने भारत के रक्षा क्षेत्र में अपनी व्यापक मौजूदगी का भी जिक्र किया। कंपनी के इंजन इंडियन नेवी के पी–8ए समुद्री निगरानी विमान और एमएच–60आर हेलीकॉप्टरों के साथ–साथ भारतीय वायु सेना के एएच–64 अपाचे हेलीकॉप्टरों में भी इस्तेमाल होते हैं।

इसके अलावा, कंपनी के एलएम2500 मरीन गैस टर्बाइन का उपयोग आईएनएस विक्रांत और पी–17 शिवालिक क्लास फ्रिगेट्स में भी किया गया है। कंपनी पिछले 40 वर्षों से भारत के एविएशन सेक्टर का हिस्सा रही है। पुणे में इसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट और देश के 13 पार्टनर्स इसके ग्लोबल सप्लाई चेन से जुड़े हुए हैं, जिससे भारत में इसकी मौजूदगी और मजबूत हुई है।

इतिहास के पन्नों में 14 अप्रैल: भारतीय संविधान निर्माता का जन्म, अमेरिकी राष्ट्रपति की हत्या

नई दिल्ली, 13 अप्रैल।

इतिहास में 14 अप्रैल का दिन कई महत्वपूर्ण घटनाओं के लिए जाना जाता है। यह दिन एक ओर जहां भारत के महान समाज सुधारक और संविधान निर्माता डॉ. भीमराव आम्बेडकर की जयंती के रूप में मनाया जाता है। वहीं, दूसरी ओर इसी तारीख को अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन पर जानलेवा हमला भी हुआ था।

साल 1891 में मध्य प्रदेश के महू (अब डॉ. आम्बेडकर नगर) में जन्मे डॉ. आम्बेडकर ने जीवनभर सामाजिक समानता और न्याय के लिए संघर्ष किया। दलित परिवार में जन्म लेने के कारण उन्हें बचपन से ही भेदभाव का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने शिक्षा और संघर्ष के बल पर समाज में बड़ा बदलाव लाने का काम किया। उनके प्रयासों से देश में दलितों को सामाजिक और कानूनी अधिकार मिले। उनके जन्मदिन को आज पूरे भारत में समानता दिवस और ज्ञान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। डॉ. आम्बेडकर ने भारतीय संविधान के निर्माण में अहम भूमिका निभाई और इसे एक समावेशी और न्यायपूर्ण दस्तावेज बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारत की आजादी के आंदोलन में भी उनकी सक्रिय भागीदारी रही। उनके विचार आज भी समाज को समानता और अधिकारों के प्रति जागरूक करते हैं। वर्ष 1990 में भारत के संविधान निर्माता बी.आर. आंबेडकर को मरणोपरांत देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। यह सम्मान उनके राष्ट्र निर्माण और समाज सुधार में दिए गए अमूल्य योगदान के प्रति श्रद्धांजलि के रूप में दिया गया।

वहीं, 14 अप्रैल 1865 को अब्राहम लिंकन को फोर्ड्स थियेटर में गोली मार दी गई थी। वह उस समय 'आवर अमेरिकन कज़िन' नामक नाटक देख रहे थे। हमलावर जॉन वाइक्स बूथ ने बालकनी से पीछे से गोली चलाई और फरार हो गया। लिंकन का अगले दिन निधन हो गया, जबकि हमलावर को कुछ दिनों बाद अमेरिकी सैनिकों ने मुठभेड़ में मार गिराया। यह घटना अमेरिकी इतिहास की सबसे बड़ी राजनीतिक हत्याओं में गिनी जाती है।

महत्वपूर्ण घटनाचक्र–1434 – फ्रांस के विश्वविख्यात सेंट पीटर कैथेड्रल की आधारशिला रखी गई।

1659 – औरंगजेब ने दिल्ली पर हुकूमत की लड़ाई में दारा को हराया।

1814 – नेपोलियन को राजगद्दी से हटाया गया।

1958 – सोवियत उपग्रह स्पूतनिक–2 अंतरिक्ष अभियान के 162 दिन बाद नष्ट हुआ।

1981 – पहला अंतरिक्ष यान कोलंबिया–1 वापस धरती पर लौटा।

1988 – सोवियत संघ ने अमेरिका, पाकिस्तान व अफगानिस्तान के साथ जिनेवा में एक समझौते पर हस्ताक्षर कर अफगानिस्तान से अपनी सेना की वापसी पर सहमति जताई।

1995 – इंडिया चौथी बार एशिया कप क्रिकेट का चैंपियन बना।

1995 – यूक्रैन में स्थित चेरनोबिल परमाणु ऊर्जा संयंत्र वर्ष 2000 तक बंद करने की घोषणा।

1999 – मलेशिया के अपदस्थ उपप्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम को भ्रष्टाचार के मामले में छह वर्ष क़ैद की सज़ा।

2000 – रूस की संसद ने संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस के बीच स्टार्ट–2 परमाणु शस्त्र कटौती संधि का अनुमोदन किया।

2003 – इस्रायल के प्रधानमंत्री एरियल शैरोन पश्चिमी तट से कुछ यहूदी बस्तियाँ हटाने पर सहमत।

2004 – अमेरिकी राष्ट्रपति जार्ज बुश ने ईराक को दूसरा वियतनाम नहीं बनने देने की घोषणा की।

2005 – भारत और अमेरिका ने अपने–अपने उड़ान क्षेत्र एक–दूसरे की एयरलाइनों के लिए खोलने की घोषणा।

2006 – चीन में प्रथम बौद्ध विश्व सम्मेलन शुरू हुआ।

भारतीय स्टेट बैंक (SBI)
परिशिष्ट–IV
(नियम 8 (1))

कब्जा सूचना

(अचल संपत्ति/प्लांट एवं मशीनरी/स्टॉक हेतु)

जहाँ तक,

अधोहस्ताक्षरी, जो कि भारतीय स्टेट बैंक के अधिकृत अधिकारी हैं, सिक्योरिटाइजेशन एवं पुनर्निर्माण वित्तीय परिसंपत्तियां तथा सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (संख्या 3, 2002) के अंतर्गत तथा धारा 13 (12) सहपठित नियम 3 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 16/05/2024 को एक मांग सूचना जारी की थी, जिसमें उधारकर्ता **श्रीमती हलीमा बीबी/M/s अशना एंटरप्राइजेज** को नोटिस में उल्लिखित राशि **रु. 20,43,849.27 (रुपये बीस लाख तैंतालीस हजार आठ सौ उनचास और सत्ताईस पैसे मात्र)** तथा 17/11/2022 से ब्याज सहित 60 दिनों के भीतर भुगतान करने हेतु कहा गया था।

चूंकि उधारकर्ता उक्त राशि का भुगतान करने में असफल रहा है, अतः उधारकर्ता तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के अंतर्गत तथा सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पढ़ते हुए, दिनांक 08 अप्रैल, 2026 को नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा ले लिया है।

उधारकर्ता/जमानतदार तथा आम जनता को विशेष रूप से सचेत किया जाता है कि उक्त संपत्ति के संबंध में कोई भी लेन–देन न करें, और यदि कोई लेन–देन किया जाता है तो वह भारतीय स्टेट बैंक, पोर्ट ब्लेयर शाखा के रु. 20,43,849.27 तथा 17/11/2022 से ब्याज (रुपये बीस लाख तैंतालीस हजार आठ सौ उनचास और सत्ताईस पैसे मात्र) एवं अन्य खर्चों के अधीन होगा।

उधारकर्ता का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसमें उपलब्ध समयावधि के भीतर सुरक्षित परिसंपत्तियों को छुड़ाने (रिडीम करने) का प्रावधान है।

संपत्ति का विवरण

बंधक प्रकार : भूमि एवं भवन
स्वामी : श्री आबेद अली
संपत्ति का पूर्ण विवरण :
सर्वे नंबर 145/3 एवं 145/2/1, क्षेत्रफल क्रमशः 1000 वर्ग मीटर एवं 380 वर्ग मीटर, स्थित ग्राम पुडुमादुराई, तहसील मायाबंदर, जिला उत्तर एवं मध्य अण्डमान, संपत्ति श्री आबेद अली, पुत्र स्वर्गीय एस. के. ताहरात अली के नाम पर है।
सीमाएं :
उत्तर : सर्वे नंबर 146
पूर्व : सड़क एवं सर्वे नंबर 145/1
दक्षिण : सर्वे नंबर 158
पश्चिम : सरकारी भूमि एवं सर्वे नंबर 145/1

ह./–
दिनांक : 08.04.2026 **अधिकृत अधिकारी**
स्थान : मायाबंदर **भारतीय स्टेट बैंक**

ई–निविदा आमंत्रित सूचना

सं. ई–निविदा/डी.बी./सि.डि./2026/1596 दिनांक 09.04.2026

कार्यपालक अभियंता, निर्माण प्रभाग, अलोनिवि, डिगलीपुर, भारत के राष्ट्रपति की ओर से, अलोनिवि के अनुमोदित एवं पात्र ठेकेदारों से अथवा ऐसे सभी ठेकेदारों से, जो अलोनिवि या किसी अन्य सरकारी विभाग में सूचीबद्ध हों या न हों, इस शर्त के अधीन कि उनके पास सीपीडब्ल्यूडी वर्क्स मैनुअल के अनुसार प्रासंगिक परिमाण के कार्यों के निष्पादन का अनुभव हो तथा इन द्वीपों में भारत सरकार के अन्य संगठनों के साथ भी कार्य का अनुभव हो और उनके विरुद्ध कोई प्रतिकूल टिप्पणी न हो, निम्नलिखित कार्य हेतु दो–बोली प्रणाली, अर्थात् तकनीकी–सह–पात्रता बोली एवं वित्तीय बोली के अंतर्गत, ऑनलाइन प्रतिशत दर निविदाएँ आमंत्रित करते हैं।

1. एन.आई.टी. संख्या 69/SE/CC-I/2026-27, कार्य का नाम – वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट (WTP), पम्प हाउस का निर्माण, पम्पों की स्थापना और मोहनपुर में निर्माणाधीन वर्षा जल संचयन (RWH) से वार्ड नंबर 5 और वार्ड नंबर 8 के ओवरहेड टैंक (OHT) तक पाइपलाइन डालना। अनुमानित लागत : रु. 2,69,90,005/–, धरोहर राशि : रु. 5,39,800/–, कार्य समाप्ति की अवधि : 12 माह।
(Tender ID : 2026_APWD_22682_1)

बोली–पूर्व सम्मेलन अधीक्षण अभियंता कार्यालय, निर्माण सर्किल संख्या– I, अलोनिवि, श्री विजय पुरम के सम्मेलन कक्ष में दिनांक 16/04/2026 को अपराहन 1500 बजे आयोजित किया जाएगा

निविदा पत्र और अन्य विवरण वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। बोली जमा करने की अंतिम तिथि 27/04/2026 को 1500 बजे तक होगी, अन्य विवरण या जानकारी वेबसाइट https://eprocure.andamannicobar.gov.in पर देखी जा सकती है।

कार्यपालक अभियंता
नि.मं., अलोनिवि, डिग्लीपुर

पोषक तत्वों से भरपूर पेड़ों पर फलने वाली 'जंगल जलेबी'

नई दिल्ली, 13 अप्रैल।

मीठी–मीठी मिठाई जलेबी तो आपने खूब खाई होगी। लेकिन पौष्टिक तत्वों से भरपूर पेड़ों पर फलने वाली जंगल जलेबी के बारे में शायद ही सुना हो। इस अनोखे फल का आयुर्वेद में खासा स्थान है। इसका स्वाद मीठे–खट्टे का मिश्रण है, जो सेहत के लिए किसी अमृत से कम नहीं है। आयरन, कैल्शियम, विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर यह फल इम्युनिटी बढ़ाने, पाचन सुधारने और हड्डियों को मजबूत बनाने में खासा मददगार है। जंगल जलेबी का वैज्ञानिक नाम पीथेसेलोबियम डल्स है। इसे मनीला तमरिंद या मद्रास थॉर्न के नाम से भी जाना जाता है। यह एक मध्यम आकार का सदाबहार पेड़ है, जिसकी फलियां मुड़ी हुई और जलेबी की तरह दिखती हैं। पकने पर ये फलियां लाल या गुलाबी रंग की हो जाती हैं। अंदर सफेद गूदेदार पल्प होता है, जिसमें मीठा–खट्टा स्वाद होता है। एक फली में करीब 10 बीज होते हैं।

यह फल पौष्टिक तत्वों का खजाना है। इसमें आयरन की अच्छी मात्रा होती है, जो एनीमिया से बचाता है और एनर्जी बढ़ाता है। कैल्शियम और फॉस्फोरस हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाते हैं। विटामिन सी से भरपूर होने के कारण यह इम्युनिटी बूस्ट करता है और संक्रमण से लड़ने में मदद करता है। एंटीऑक्सीडेंट्स (लेवोनॉयड्स, पॉलीफेनॉल्स) शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम करते हैं, सूजन घटाते हैं और उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करते हैं।

पाचन की दृष्टि से भी यह फल बेहद उपयोगी है। इसमें डाइटरी फाइबर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो कब्ज दूर करता है, आंतों को स्वस्थ रखता है और पाचन तंत्र को बेहतर बनाता है। कई अध्ययनों में इसके एंटी–इंफ्लेमेटरी, एंटी–माइक्रोबियल और ब्लड डायबिटीज नियंत्रित करने वाले गुण भी पाए गए हैं।

पारंपरिक चिकित्सा में इसका इस्तेमाल पेट की समस्याओं, बुखार और त्वचा संबंधी परेशानियों में किया जाता है। इसके अलावा, कांटेदार होने के कारण यह पेड़ फेंसिंग और बाड़ के रूप में भी उपयोगी है। यह तेजी से बढ़ता है और मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में भी मदद करता है। गर्मियों में सड़क किनारे या बाजार में आसानी से उपलब्ध यह फल बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक के लिए फायदेमंद है। खास बात है कि इसे कच्चा खाया जा सकता है या जूस बनाकर पिया जा सकता है। हालांकि, ज्यादा मात्रा में सेवन से पहले डॉक्टर से सलाह लेना बेहतर होता है।

आधी आबादी, पूरी हिस्सेदारी : राजनीति और नीति निर्माण के केंद्र में उभरती 'नारी शक्ति'

नई दिल्ली, 13 अप्रैल।

एक दौर ऐसा भी था जब भारतीय राजनीति में महिलाओं की भूमिका को केवल 'वोट बैंक' या साइलेंट वोटर के तौर पर देखा जाता था। आज, भारत एक ऐसे ऐतिहासिक बदलाव के मुहाने पर खड़ा है, जहां महिलाएं सिर्फ नीतियां मानने वाली नहीं बल्कि नीतियां बनाने वाली बन रही हैं। इस बदलाव की सबसे मजबूत धुरी है 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम'। यह देश की आधी आबादी को सत्ता और सदन में उनका वाजिब हक दिलाने की एक पक्की गारंटी है।

सोमवार को 'नारी शक्ति वंदन सम्मेलन' में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के संबोधन ने इसी बदलते भारत की तस्वीर पेश की। संदेश स्पष्ट था कि भारत का विकास तब तक अधूरा है, जब तक उसकी अगुवाई महिलाएं न करें। प्रधानमंत्री ने सम्मेलन में अपने वक्तव्य में जिस बात पर सबसे ज्यादा जोर दिया, वह था, 'महिला विकास' से आगे बढ़कर 'महिलाओं के नेतृत्व में विकास' की ओर कदम बढ़ाना।

संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित करने वाला यह अधिनियम राजनीति के परिदृश्य को पूरी तरह से बदल देगा। वहीं, सवाल यह है कि नीति निर्माण में महिलाओं का होना इतना अहम क्यों है?

दरअसल, जब महिलाएं सत्ता में होती हैं, तो नीतियां बुनियादी ढांचे के साथ–साथ मानव विकास सूचकांकों (जैसे मातृ स्वास्थ्य, शिशु पोषण, और शिक्षा) पर अधिक केंद्रित होती हैं। महिलाएं अक्सर जमीनी समस्याओं (जैसे पीने के पानी की किल्लत, रसोई गैस की महंगाई, और कानून–व्यवस्था) का सीधा सामना करती हैं। इसलिए जब वे नीतियां बनाती हैं, तो उनके समाधान अधिक व्यावहारिक होते हैं। कई वैश्विक शोध बताते हैं कि स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं के नेतृत्व वाले क्षेत्रों में सुशासन और पारदर्शिता का स्तर अपेक्षाकृत बेहतर होता है।

कोई भी महिला सीधे संसद या विधानसभा नहीं पहुंच सकती, जब तक कि वह आर्थिक और सामाजिक रूप से स्वतंत्र न हो। केंद्र सरकार की कई योजनाएं एक ऐसा

इकोसिस्टम तैयार कर रही हैं, जो महिलाओं को आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता दे रहा है, जो उन्हें नेतृत्व की ओर प्रेरित करता है।

लखपति दीदी योजना स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बना रही है। इसका लक्ष्य तीन करोड़ महिलाओं को कम से कम 1 लाख रुपए की वार्षिक आय तक पहुंचाना है, जिससे वे अपने परिवार और गांव की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन सकें।

नमो ड्रोन दीदी योजना ग्रामीण स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को ड्रोन चलाने का प्रशिक्षण और 80 प्रतिशत तक सब्सिडी (8 लाख रुपए तक) प्रदान करती है, जिससे वे .षि में ड्रोन तकनीक का उपयोग कर सकें। यह योजना महिलाओं को ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ के रूप में स्थापित कर रही है।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत दिए गए कुल ऋणों में से लगभग 68 प्रतिशत से अधिक ऋण महिला उद्यमियों को मिले हैं। यह योजना महिलाओं को रोजगार मांगने वाले की बजाय रोजगार देने वाला बना रही है।

गर्भवती महिलाओं के लिए मातृ वंदना योजना के तहत 5,000 रुपए की सहायता और पोषण और बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और सुकन्या समृद्धि योजना के माध्यम से महिलाएं शिक्षा और आर्थिक सुरक्षा पा रहीं हैं। सुकन्या समृद्धि योजना माता–पिता को कम उम्र से ही बेटी के भविष्य के लिए बचत करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है, जो महिलाओं के लिए वित्तीय स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता का आधार है।

सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं के लिए सौ फीसदी एलपीजी की आपूर्ति सुनिश्चित की

नई दिल्ली, 13 अप्रैल।

पश्चिम एशिया संकट के बीच सरकार ने सोमवार को कहा कि घरेलू उपभोक्ताओं के लिए एलपीजी की 100 फीसदी आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है, जबकि देश में किसी भी एलपीजी वितरक के यहां स्टॉक खत्म होने की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। पेट्रोल पंपों के पास ईंधन के पर्याप्त स्टॉक मौजूद हैं।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने नई दिल्ली में अंतर–मंत्रालयी प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए बताया कि पूरे देश में एलपीजी की घरेलू आपूर्ति सामान्य है। उन्होंने कहा कि घरेलू ग्राहकों के लिए एलपीजी सिलेंडरों की नियमित सप्लाई सुनिश्चित की गई है, अभी घरेलू एलपीजी सप्लाई पूरी तरह से सामान्य है।

सुजाता शर्मा ने कहा कि किसी भी एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर के पास घरेलू रसोई गैस की कमी (ड्राई–आउट) की कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन बुकिंग का स्टेटस भी लगभग 99 फीसदी तक पहुंच गया है। इसके अलावा गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए ओटीपी–आधारित एलपीजी डिलीवरी सिस्टम लागू किया गया है। सुजाता शर्मा ने कहा कि इस प्रक्रिया में ओटीपी केवल ग्राहक के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ही भेजा जाता है। इसलिए, अगर ग्राहक इस कोड को किसी और के साथ शेयर नहीं करता है तो यह सुरक्षित रहता है और कोई दूसरा व्यक्ति इसे एक्सेस नहीं कर सकता।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव ने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि इसके

अलावा ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (ओएमसी) ने मौजूदा हालात को ध्यान में रखते हुए हर क्षेत्र के लिए न्यूनतम स्टॉक सीमा तय की है, जो 85 फीसदी से 90 फीसदी के बीच है। इस स्तर से ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन अप्रूवल क्लीयरेंस (डीएसी) को बाईपास करने के लिए केवल राज्य प्रमुख या क्षेत्रीय स्तर के अधिकारियों से ही मंजूरी लेनी होगी।

वहीं, बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव मुकेश मंगल ने कहा कि अभी फारस की खाड़ी क्षेत्र में सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं। पिछले 24 घंटों में भारतीय झंडे वाले किसी भी जहाज़ से जुड़ी कोई घटना सामने नहीं आई है। उन्होंने बताया कि भारतीय झंडे वाला एलपीजी जहाज 'जग विक्रम' 11 अप्रैल को होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरा है। इस जहाज पर लगभग 20,400 मीट्रिक टन एलपीजी लदी है और इसमें 24 नाविक सवार हैं। इसके 14 अप्रैल को कांडला पहुंचने की उम्मीद है।

भारत में फॉर्मूला 1 को वापस लाने की तैयारी चल रही है– खेल मंत्री

नई दिल्ली, 13 अप्रैल।

केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री श्री मनसुख मांडविया ने सोमवार को कहा कि सरकार मोटरस्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि लगभग 13 साल बाद 2027 से पहले भारत में फॉर्मूला 1 की वापसी हो सकती है। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि भारत में फॉर्मूला 1 की वापसी की तैयारी चल रही है और हमारा लक्ष्य 2027 से पहले एफ1 रेस को होस्ट करना है।

उन्होंने कहा, "लगभग 13 साल के गैप के बाद भारत में फॉर्मूला 1 (एफ1) की वापसी की तैयारी चल रही है। ट्रैक से जुड़े मसले सुलझा लिए गए हैं और अगले छह महीनों में काम पूरा होने की उम्मीद है। टारगेट 2027 से पहले भारत में फिर से एफ1 रेस होस्ट करना है।" इसके अलावा, खेल मंत्री ने कहा कि मोटोजीपी जैसे इवेंट्स को जल्द ही भारत में लाने का प्लान है, जिसमें जरूरी सुधार अभी चल रहे हैं। फॉर्मूला 1 इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 2011 से 2013 तक तीन सीजन के लिए उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में हुआ था। रेड बुल रेसिंग के लिए ड्राइव करते हुए सेबेस्टियन वेट्टल ने तीनों रेस जीती थीं। टैक्स, ज्यादा खर्च और अन्य दिक्कतों की वजह से 2013 के बाद इस इवेंट को कैलेंडर से हटा दिया गया था। बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट भारत में इंटरनेशनल मोटरस्पोर्ट लाने वाला पहला सर्किट था, जो 2011 में फॉर्मूला 1 इंडियन ग्रैंड प्रिक्स के होस्ट के तौर पर सामने आया था।

हरमन टिल्के का डिजाइन किया हुआ यह ट्रैक ड्राइवरों को काफी पसंद आया और ऐसा लग रहा था कि यह भारत को इंटरनेशनल मोटरस्पोर्ट कैलेंडर में मजबूती से जगह दिला देगा। दुख की बात यह रही कि टैक्स विवाद के कारण फॉर्मूला 1 रेस का फैंस भारत में ज्यादा समय तक आनंद नहीं ले सके। दो रेस के बाद ग्रैंड प्रिक्स को 2014 के लिए सस्पेंड कर दिया गया और आखिरकार कैलेंडर से पूरी तरह हटा दिया गया। मांडविया ने यह भी दोहराया कि सरकार का ध्यान हर स्तर पर खेलों को मजबूत करने और अगली पीढ़ी को खेलों में करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित करने पर है।

महिला टी20 वर्ल्ड कप के लिए रिकॉर्ड प्राइज पूल की घोषणा, विजेता को मिलेंगे 2.34 मिलियन यूएस डॉलर

दुबई, 13 अप्रैल।

इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) ने आईसीसी विमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए प्राइज मनी में 10 प्रतिशत इजाफा किया है। आगामी विमेंस वर्ल्ड कप में 87,64,615 यूएस डॉलर की प्राइज मनी दी जाएगी। यह रकम दो साल पहले संयुक्त अरब अमीरात में हिस्सा लेने वाले 10 देशों के बीच बांटे गए 79,58,077 यूएस डॉलर से ज्यादा है, क्योंकि यह टूर्नामेंट पहली बार 12 टीमों तक बढ़ाया जा रहा है। साल 2026 के एडिशन में मेजबान इंग्लैंड के साथ ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, भारत, आयरलैंड, नीदरलैंड्स, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, स्कॉटलैंड, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका और वेस्टइंडीज शामिल होंगे।

विजेता को एक बार फिर 23,40,000 यूएस डॉलर मिलेंगे, जबकि उपविजेता को 11,70,000 यूएस डॉलर मिलेंगे। सेमीफाइनल हारने वाली टीमों को 6,75,000 यूएस डॉलर मिलेंगे। प्रत्येक ग्रुप मैच जीतने पर 31,154 यूएस डॉलर का इनाम मिलेगा। आईसीसी ने एक रिलीज में बताया कि हिस्सा लेने वाली सभी 12 टीमों को कम से कम 2,47,500 यूएस डॉलर का प्राइज मिलना तय है।

आईसीसी विमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत 12 जून से होगी, जब इंग्लैंड बर्मिंघम के एजबेस्टन में श्रीलंका का सामना करेगा। 33 मुकाबलों का यह टूर्नामेंट 24 दिनों तक 7 वेन्यू पर खेला जाएगा, जिसमें टीमें सबसे बड़े इनाम के लिए मुकाबला करेंगी।

जानिए क्यों मनाया जाता है अग्निशमन सेवा दिवस

नई दिल्ली, 13 अप्रैल।

दरअसल "फायर सर्विस वीक" हिंदुस्तान में मनाया जाना शुरू हुआ था 14 अप्रैल सन् 1945 से. इससे ठीक एक साल पहले यानि 14 अप्रैल 1944 को मुंबई फायर सर्विस के 66 कर्मी खुद की जान, मुसीबत में फंसे बाकी लोगों की जान बचाने की कोशिश में गंवा चुके थे. वे सभी रणबांकुरे थे मुंबई फायर ब्रिगेड के जवान. हुआ यूं था कि 14 अप्रैल सन् 1944 को एक जहाज मुंबई के समुद्री तट पर पहुंचा था, जहाज में कपड़े, तेल के ड्रम और गोला–बारुद भरा हुआ था. अचानक उस जहाज में भीषण आग लग गई. जहाज में लदे करोड़ों रुपए के माल की परवाह नहीं थी. परवाह थी उसमें फंस गए सैकड़ों कर्मियों, लोगों जिंदगी बचाने की. जब तक मुंबई फायर सेवा के बहादुर जहाज पर पहुंचे.

आग और भी ज्यादा विकराल रूप धारण कर चुकी थी. जिस आग की विकराल लपटों को देखकर ही तमाशबीनों की चीखें निकल जा रही थीं. उसी दावानली आग को काबू करने का जिम्मा लिए मौके पर पहुंचे मुंबई दमकल कर्मी उसमें कूद पड़े. जहाज पर लगी उस भीषण आग पर काफी हद तक काबू भी पा लिया गया था. जब आग को शांत करने का ऑपरेशन चल रहा था उसी दौरान अचानक, जहाज के अंदर भीषण बम धमाके होने लगे. उन धमाकों की आवाजें इतनी तेज थीं कि मौके पर मौजूद सैकड़ों लोगों को कई दिन तक बाद में कानों से ठीक तरह सुनाई देना भी बंद हो गया था, जबकि जहाज पर आग काबू करने पहुंचे मुंबई दमकल सेवा कर्मी तो उन धमाकों की चपेट में ही आ गए थे.

जाने–अनजाने शायद यह बाद मुंबई फायर सर्विस के बहादुरों को नहीं मालूम थी कि FORT STIKINE नाम के उस

जहाज के अंदर माल के रूप में भरे सामान में गोला–बारूद भी मौजूद है. लिहाजा जैसे ही आग ने उस गोला–बारूद को चपेट में लिया, एक के बाद एक कई जबरदस्त धमाके होने लगे. उन धमाकों में अकाल मौत का ग्रास मुंबई फायर ब्रिगेड के 66 जवान बन गए. उस हादसे में जवान और जहाज दोनो ही नष्ट होकर एक दूसरे में मिल गए थे. कहा जाता है कि उस हादसे में लगातार हुए बम धमाकों ने न केवल जहाज और मुंबई दमकल सेवा के बहादुरों की जान ली थी, वरन एक किलोमीटर के इलाके में भी तबाही मचाई थी. करीब एक किलोमीटर के दायरे में रहने वाले तमाम लोगों को कानों से कम सुनाई देने लगा था.

पूरी तरह तबाह हो चुके उस जहाज के अंदर से ब–मुश्किल बहादुर जवानों के शव तलाशे जा सके थे. उस घटना ने मुंबई फायर सेवा या फिर हिंदुस्तानी हुकूमत को ही नहीं, वरन् दुनिया भर की दमकल सेवाओं को हिला कर रख दिया था. उस घटना की याद में और उस घटना में शहीद बहादुरों को सम्मान देने के लिए अगले साल यानि 14 अप्रैल 1945 को पहला "फायर सर्विस वीक" मनाया गया था.

शतावरी का सेवन सिर्फ फायदेमंद नहीं, सही जानकारी के बिना नुकसानदायक भी साबित हो सकता है

नई दिल्ली, 13 अप्रैल।

महिलाओं में गर्भाशय और हार्मोनल असंतुलन से जुड़ी परेशानियां आज के समय में बहुत आम हैं, और परेशानियां इस हद तक बढ़ चुकी हैं कि इससे प्रजनन क्षमता भी प्रभावित होने लगी है। आयुर्वेद की दुनिया में इन सभी परेशानियों का हल छिपा है और शतावरी को महिलाओं के गर्भाशय से जुड़ी समस्या से छुटकारा पाने का तरीका बताया गया है। शतावरी को आयुर्वेद में "रानी औषधि" कहा गया है।

शतावरी पीसीओडी, अनियमित पीरियड, फर्टिलिटी बूस्टर, डिलीवरी के दूध उत्पादन में मददगार, तनाव और एजिंग से मुक्ति से मुक्ति पाने का साधन माना गया है। इन सभी समस्यों से निपटने के लिए आयुर्वेद शतावरी के सेवन की सलाह देता है। शतावरी के फायदों के बारे में तो सभी जानते हैं कि लेकिन इसके नुकसान के बारे में कम ही बात होती है। आज हम शतावरी के सेवन के साइड–इफेक्ट्स के बारे में बात करेंगे।

गर्भवती महिलाओं को शतावरी के सेवन से नुकसान हो सकता है। कुछ महिलाओं में गर्भपात का इतिहास रहा होता है। ऐसे में शतावरी का सेवन शरीर को कमजोर कर सकता है। इसलिए शतावरी के सेवन से पहले उसके दुष्परिणामों को जान लेना बहुत जरूरी है। यह गर्भ में पल रहे बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है।

थायरॉइड के मरीज को भी शतावरी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। शतावरी के सेवन से हार्मोन ओवरस्टिम्युलेट हो सकते हैं और यह परेशानी को कम करने की बजाय बढ़ा सकता है। इसके साथ ही, जिन लोगों का पाचन कमजोर होता है और खाना ठीक से पचता नहीं है, उन्हें भी शतावरी का सेवन नहीं करना चाहिए।

गर्मी में बना रहे हैं घूमने का प्लान, रामेश्वरम का कुरुसादई द्वीप देगा सुकून भरा अनुभव

नई दिल्ली, 13 अप्रैल।

गर्मियों की शुरुआत होते ही लोग छुट्टियों की प्लानिंग में जुट जाते हैं, क्योंकि यही समय होता है जब रोजमर्रा की भागदौड़ से दूर सुकून और शांति के पल मिलते हैं। इस मौसम में ज्यादातर लोग ठंडी या समुद्र किनारे की जगहों को चुनते हैं। काफी लोग विदेश जाने की प्लानिंग बनाते हैं, लेकिन अगर आप भारत में ही किसी खूबसूरत और शांत द्वीप की तलाश में हैं, तो कुरुसादाई द्वीप आपके लिए एक शानदार विकल्प साबित हो सकता है।

तमिलनाडु राज्य में रामेश्वरम के तट से थोड़ी दूरी पर हिडन जैम कुरुसादई द्वीप मौजूद है। मन्नार की खाड़ी के पास स्थित यह द्वीप अपनी समृद्ध समुद्री जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। यहां आपको अलग–अलग तरह की मछलियों से लेकर कई अनोखे समुद्री वनस्पति और जीव–जंतु देखने के लिए आसानी से मिल जाएंगे। यह द्वीप डॉल्फिन और समुद्री स्तनधारी जीव डुगोंग के लिए प्रसिद्ध है। डुगोंग भारत में बहुत कम ही देखने को मिलते हैं।

खास बात यह है कि यहां एक नहीं बल्कि आस–पास 21 अलग–अलग द्वीप देखने को मिल जाएंगे, जिसके बीच की दूरी ज्यादा नहीं है। बोटिंग के सहारे एक द्वीप से दूसरे द्वीप पर पहुंचा जा सकता है। वोटिंग का मजा लेने के लिए प्रति व्यक्ति किराया 300 रुपए है। यहां वोटिंग की व्यवस्था भी राष्ट्रीय उद्यान के जरिए ही की जाती है। कुरुसादई द्वीप आकर सारी थकान पलभर में मिट जाएगी क्योंकि यहां की शांति किसी का भी मन मोह लेगा।

द्वीप के किनारे बहुत सारी रेत में भी मिल जाते हैं, जहां

ऊंचे पेड़ों के बीच बैठकर पूरे परिवार के साथ अच्छा समय बिताया जा सकता है। यहां से सनसेट का नजारा भी बहुत प्यारा लगता है। यहां के प्राकृतिक नजारे किसी को भी मोहित कर सकते हैं।

खास बात यह है कि कुरुसादई द्वीप पर आप स्नॉर्कलिंग और स्कूबा डाइविंग भी करते हैं, जहां पानी के गहराई में आपको जलीय जीवों के अलावा समुद्री कछुए भी देखने को मिल जाते हैं। इस द्वीप को कछुओं का स्वर्ग भी कहा जाता है। यही कारण है कि यह द्वीप भारत के बाकी सभी द्वीपों से काफी अलग और अनोखा है, यहां तक लोगों की पहुंच बहुत कम है।

अगर आप 12 ज्योतिर्लिंग में से एक रामेश्वरम के दर्शन के लिए आ रहे हैं तो कुछ समय कुरुसादई द्वीप पर जरूर बिताएं। यह रामेश्वरम बस स्टैंड से मात्र 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और रामेश्वरम रेलवे स्टेशन से 14 किलोमीटर से स्थित है।

खेतों में रौनक और नववर्ष की शुरुआतः बैसाखी, विशु से लेकर पुथांडु तक उत्सवों का संगम

नई दिल्ली, 13 अप्रैल।

भारत विविधताओं का देश है और देश के हर राज्य में अलग रीति–रिवाजों का पालन किया जाता है। यहीं खूबसूरती और परंपराएं भारत को बाकी देशों से अलग बनाती है। मंगलवार को देश भर में बैसाखी का त्योहार मनाया जाएगा लेकिन अलग–अलग नामों के साथ। कई जगह पर बैसाखी के नववर्ष के रूप में मनाते हैं तो कई जगह पर उसे फसलों के पक जाने और कटाई का समय माना जाता है। आज हम आपको देश के अलग–अलग हिस्सों में सेलिब्रेट होने वाली बैसाखी के बारे में बताएंगे।

उत्तर भारत में, खासकर पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में, इसे बैसाखी और मेष संक्रांति के नाम से जाना जाता है। इस दिन सूरज मीन राशि से निकलकर मेष राशि में आता है। इससे दिन पर प्रभाव पड़ता है और गर्मियां तेजी से बढ़ना शुरू होती है। पंजाब और हरियाणा में इसे फसल पकने और गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा खालसा पंथ की स्थापना और सिख धर्म में धर्म की स्थापना का दिन माना जाता है। उत्तराखंड में इसे 'बिखोती' और ओडिशा में 'महा विशुव संक्रांति' के नाम से जाना जाता है।

उत्तराखंड में 'बिखोती' का आयोजन 14–15 अप्रैल को किया जाएगा, जिसमें लाटू देव की पूजा का विशेष प्रावधान है। इस दिन देवताओं को अनाज से बने प्रसाद चढ़ाए जाते हैं और मंदिरों के बाहर सांस्.तिक मेलों का भी आयोजन किया जाता है।

असम में 14 अप्रैल को ही रंगाली बिहू बनाया जाता है, जिसे असमिया नववर्ष के रूप में भी जाना जाता है। इस

दिन असम में लोग रंगोली को अपने घरों से सजाते हैं और पारंपरिक मीठे पकवाल भी खाते हैं। बंगाल में भी बैखासी को नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। बंगाली कलेंडर के मुताबिक 14 अप्रैल से बंगाली नववर्ष की शुरुआत होती है। इसे पोइला बैसाख के नाम से जाना जाता है। इस दिन 'मंगल शोभाजात्रा' निकाली जाती है, जो यूनेस्को की सांस्.तिक विरासत में शामिल है।

वहीं दक्षिण भारत में इसे विशु, यानी मलयाली नववर्ष, के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन केरल में भगवान को ताजे पीले फूल चढ़ाने की परंपरा चली आई है, और कुछ मंदिरों में पीले फूलों के साथ–साथ सोने से भी भगवान की प्रतिमा को सुसज्जित किया जाता है। तमिलनाडु में बैसाखी को पुथांडु के नाम से जाना जाता है, और इस दिन लोगों के घरों में विशेष व्यंजन 'मंगा पचड़ी' बनती है। इसे बनाने के लिए सीजन के फलों का इस्तेमाल होता है, और आम, इमली, गुड़ और नीम से इसे तैयार किया जाता है।